UPJS100000162002

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जनपद- झाँसी।

उपस्थित - सृष्टि शुक्ला (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

J. O. Code - UP4682

दाण्डिक वाद सं०- 231/ 2002

सरकार

.... **अभियोजन।**

विरुद्ध

1. गोरेलाल पुत्र कल्लू धोबी।
2. गोविन्ददास पुत्र छिदामी।

निवासीगण एवनी, थाना टोड़ीफतेहपुर, जिला झांसी।

.... **अभियुक्तगण।**

धारा- 323, 324, 504 भा०दं०सं०

थाना- टोड़ीफतेहपुर, जिला- झाँसी।

मु०अ०सं०- 163/ 01

निर्णय

1. थाना- टोड़ीफतेहपुर, जिला- झाँसी की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०- 163/ 01 में अभियुक्तगण गोरेलाल व गोविन्ददास के विरूद्ध धारा- 323, 324, 504 भा०दं०सं० के तहत अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर इस प्रकरण का विचारण किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया श्रीमती बूंदा पत्नी श्री लच्छू ग्राम एवनी थाना टोड़ीफतेहपुर जिला झांसी की निवासी है। प्रार्थिया के गांव के ही विपक्षीगण लल्लू, गोविन्ददास, गोरेलाल, हरजू, लक्ष्मी, प्रमोद, ने प्रार्थिया का जबरन दरवाजा बन्द कर दिया था जिसको प्रार्थिया दिनांक- 25. 11. 2001 को समय सुबह 8 बजे उक्त दरवाजे की मिट्टी हटा रही थी कि उसी समय उपरोक्त सभी विपक्षीगण एक राय होकर आये और मां बहिन की गन्दी गन्दी गालियां देकर लाठी से मारने को छपटे तो प्रार्थिया अपने बचाव के लिये चिल्लायी तो उपरोक्त विपक्षीगण ने प्रार्थिया को लात, घूंसों एवं लाठी, डण्डा कुल्हाड़ी से मारा पीटा और उपरोक्त विपक्षीगण ने प्रार्थिया को पकड़कर जान से मारने की नियत से कुए में फेंक दिया तो वहां मौजूद गांव के लक्ष्मी व प्रार्थिया का पति लच्छू एवं तमाम लोग आ गये जिन्होंने घटना देखी और प्रार्थिया को कुए से निकालकर बचाया। उपरोक्त सभी विपक्षीगण मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गये।

3. वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण लबूत, गोविन्दास, गोरेलाल, हरजू, लक्की व प्रमोद के विरुद्ध दिनांक- 27. 12. 2001 को समय 14. 10 पी०एम० पर थाना- टोड़ीफतेहपुर में मु०अ०सं०- 163/ 01 प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा- 147, 323, 324, 504, 506 भारतीय दंड संहिता अंकित की गई। मुकदमे की कायमी का इंद्राज जी०डी० में किया गया। मामले की विवेचना विवेचनाधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई। विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, नक्शा नजरी तैयार की गई एवं गवाहान के बयान अंकित किए गए । विवेचनाधिकारी ने विवेचना की अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत अभियुक्तगण गोरेलाल व गोविन्ददास के विरूद्ध धारा- 323, 324, 504 भा०दं०सं० का पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए, आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया एवं लबूत, हरजू, छक्की व प्रमोद की नामजदी गलत पाये जाने के आधार पर उनके नाम आरोपपत्र से पृथक किये गये। आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के उपरांत अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा तलब किया गया तथा अभियुक्तगण ने न्यायालय उपस्थित आकर अपनी जमानत करायी।

4. दिनांक- 06. 07. 2004 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की। आरोप विरचित होने के पश्चात अभियोजन द्वारा गवाह के तौर पर पी०डब्ल्यु०- 1 श्रीमती बूंदा, पी०डब्ल्यु०- 2 लघु, पी०डब्लू०- 3 हरचरन, पी०डब्लू०- 4 प्रभुदयाल, पी०डब्लू०- 5 भागीरथ, पी०डब्लू०- 6 जितेन्द्र व पी०डब्लू०- 7 अमित कुमार को परीक्षित कराया है। अभियोजन द्वारा किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा- 313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा कथित अपराध कारित नहीं करने, साक्षीगण के बयानों के संबंध में कहा कि कुछ नहीं कहना है, मुकदमा झूंठा चलाये जाने तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य साक्षी डी०डब्लू०- 1 हरचरन व डी०डब्लू०- 2 गिरजा प्रसाद को परीक्षित कराया गया है।

6. अभियोजन द्वारा गवाह के तौर पर पी०डब्ल्यु०- 1 श्रीमती बूंदा, पी०डब्ल्यु०- 2 लघु, पी०डब्लू०- 3 हरचरन, पी०डब्लू०- 4 प्रभुदयाल, पी०डब्लू०- 5 भागीरथ, पी०डब्लू०- 6 जितेन्द्र व पी०डब्लू०- 7 अमित कुमार को परीक्षित कराया है। अभियोजन द्वारा किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों के सन्दर्भ में उक्त मौखिक साक्षियों के साक्ष्य का विवेचन किया जावेगा कि अभियोजन पक्ष उक्त साक्ष्य से अपने कथानक को किस हद तक संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं।

7. अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यु०- 1 श्रीमती बूंदा** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि, " *घटना को घटे लगभग 8 साल हो गए हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। मारपीट सुबह आठ बजे हुई थी। गोरेलाल, गोविन्ददास, पिल्लू, कलूटे, लक्ष्मी ने मारा था। मुझे छः लोगों ने मारा था। गोविन्ददास कुल्हाड़ी लिये थे। शेष लोग लाठी लिये थे। इन लोगों ने मारा लड़ाई मेरे दरवाजे पर हुई थी। मेरे दरवाजे के बाबत लड़ाई हुई थी। मैंने जब दरवाजा खोला उपरोक्त सभी लोगों ने यह के गाली बकी विटिया लड़की चोदे की गाली बकी। मैंने गाली देने से मना किया सभी उक्त लोगों ने मुझे मारा पीटा।*

मैं चिल्लाई मुझे कोई बचाने नहीं आया। मैंने अपनी डाक्टरी गरौठा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कराया था। मुझे लगभग सात चोटे आईं थी। मैं थाने गई थी पहले रिपोर्ट नहीं लिखी थी। बाद में रिपोर्ट लिखी थी। एस०पी० साहब को मैंने दरख्वास्त दी थी कि मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। न्यायालय में आकर प्रार्थनापत्र दिया था। रिपोर्ट लिखी गई थी। गवाह ने का०सं०- 3 ए को देखकर कहा कि यह वही टाइपशुदा प्रार्थनापत्र है जिसपर मैंने अपनी निशानी अंगूठा लगाया था जिसपर प्रदर्श क- 1 डाला गया दरोगा जी मेरे घर गये थे। वहां पूछताछ की थी जहां पर मारपीट हुई थी वह जगह दरोगा जी ने देखी थी।"

8. **साक्षी पी०डब्लू०- 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के स्तर पर सशपथ बयान किया है कि,** *" घटना कार्तिक महीने की है। सूरज डूबा नहीं था। सूरज सुबह आठ बजे निकला था। मैं अपने मकान में उत्तर की तरफ दरवाजा फोड़ रही थी। इस दरवाजे के सामने गोविन्ददास का दरवाजा नहीं है दूर है। मेरे घर व गोविन्ददास के घर के दरवाजे के बीच में सड़क है। मैं उसी तरफ अपने मकान में दरवाजा फोड़ रही थी। मैंने एक बार पहले दरवाजा खोदा था तब गोविन्ददास आदि ने बन्द कर दिया था। दरवाजे से लगी एक दीवार बना दी थी। घटना के दो दिन पहले गोविन्ददास आदि दरवाजे से सटाकर दीवार बना दी थी। दीवार के बाद नीम का पेड़ दो पगाईया दूर है। एक पगाईया सात की होती है। मेरे दरवाजे से नीम के पेड़ का मैदान पड़ा है। मैदान करीब 20 हाथ लंबा बीस हाथ चौड़ा होगा। यह मैदान मेरा है गोविन्ददास आदि का नहीं है। यह मैदान मैंने जो दरवाजा फोड़ा उसके पूरब की ओर है। परगना अधिकारी के यहां इसके संबंध में 145 द०प्र०सं० का मुकदमा चला था। मैं उस मुकदमे में नहीं हारी। मैं एक बार नहीं हारी। यह कहना गलत है कि मैं परगनाधिकारी के यहां मुकदमा हार गई हो और परगनाधिकारी के यहां मुकदमा हार गई हो और परगनाधिकारी के यहां गोरेलाल आदि मुकदमा जीत गये हो। यह कहना गलत है कि इस स्थान पर गोरेलाल आदि का कब्जा व विस्तार रहा हो। यह कहना कहना गलत है कि मैंने अभियुक्तगण पर दबाव बनाने के लिये व जमीन हड़पने के लिये यह झूंठा मुकदमा दायर किया हो। मैंने जमीन एक ताकतवर आदमी को नब्बे हजार रुपये में बेच दी है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण को झूंठा फंसाने के लिये मैं गिर गई हूं। यह कहना गलत है कि मुझे कुए में गिरने से चोटे आयी हो। मुझे कुए के पास नहीं मारा था घर में मारा था। अब खुद कहा कि कुए के पास ले गये थे। घर के अन्दर घुसकर मारा था। मुझे लातें घूंसा आदि कुल्हाड़ी मारी थी। मुझे दो कुल्हाड़ी सिर में मारी थी। मेरे दोनों हाथों व पैरों में कुल्हाड़ी मारी थी। मुझे पीठ में लाठी से मारा। पीठ में दो लाठी मारी हो या चार। पहले लात घूंसा मारा। घसीट घसीट कर मारा। बाहर घसीटते हुए कुए तक ले गये थे। गोविन्ददास घर से कुल्हाड़ी लाये और कुल्हाड़ियां मारी। मैं घटना के दो दिन , तीन दिन बाद थाने गयी थी। मेरी रिपोर्ट थाने में लिख गयी थी। गरौठा आकर वकील के द्वारा प्रार्थनापत्र लिखवाया। मेरा लड़का भी आया उसी दिन प्रार्थनापत्र दिया। उसी ने डाक्टरी करवाई थी। मैं घटना के चार पांच दिन बाद अदालत गरौठा आई थी। न्यायालय में आने के बाद रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। मारपीट घटना के दूसरे तीसरे दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरौठा में कराई थी। डाक्टर ने दस पंद्रह हजार रुपये ले लिये थे लड़के ने दिये थे। मैं बीस हजार रुपये लेकर गरौठा आयी थी। बीस हजार रुपये खर्च*

हो गये थे। मेरे वकील साहब डाक्टर के पास गये थे। मैं डाक्टरी सर्टीफीकेट जानती हूं। उन्होंने सर्टीफीकेट दिया था। उन्होंने ही डाक्टरी कराई थी। मेरे बयान दरोगा जी ने थाने बुलाकर लिये थे। मेरी रिपोर्ट जिस दिन लिखी थी उसी दिन मेरे बयान दरोगा जी ने लिये थे। दरोगा जी ने उसके बाद दुबारा थाने में बातचीत किये थे। मुझे नहीं मालूम की दुबारा दरोगा जी ने कब बुलाया। मैंने अपना इलाज गरौठा में कराया। मैं इलाज कराने झांसी नहीं गई थी। मुझे घटनास्थल पर बचाने हजार आदमी आये थे। मुझे कुए में से प्रभू ने निकाला एक लड़का ओर था उसका नाम याद नहीं है। प्रभू लोकी जाति का है। मुझे दोनों ने कुए में उतरकर निकाला था। मुझे डाकिया में रख कर निकाला था। कुए में इंटे निकली थीं उसपर चढ़कर आ गये थे। मैं जब कुए से निकलकर आयी थी उस समय मुल्जिमान यहां पर नहीं थे। मेरे कुंए में गिरने के पहले मुल्जिमान भाग गये थे। मैं जब कुए से निकल आयी तब मेरे पति आ गये थे। मेरे पति गांव में निकल गये थे जब मालूम पड़ा तब आ गये थे। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने मारपीट नहीं की हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने गाली गलौच नही की हो। कुए में आठ दस हाथ पानी भरा था। कुए में डब्बा पानी भरा था। कुआ बारह हाथ चौड़ा था। कुआ सौ हाथ गहरा था। "

9. अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यु०- 2 लघु** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि, *"घटना को हुए आठ दस साल हो गए। फिर कहा सात आठ साल हो गये हैं। गोविन्ददास और गोरेलाल ने मारा था। मुझे इतना मारा था कि मेरी पसली टूट गयी थी। काहे से मारा मुझे नहीं मालूम। मुझे दो लोगों ने मारा था। मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। अभियुक्त लोगों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। प्रश्न- क्या दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ किया था। उत्तर - अच्छा। मार के घर में घुस गये थे। खोपड़ी पर काफी चोटें आईं थी। "*

10. **साक्षी पी०डब्लू०- 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के स्तर पर सशपथ बयान किया है कि,** *" मैंने थाने से रिपोर्ट की थी। कितने दिन बाद रिपोर्ट तो में की थी इसका ख्याल नहीं है। बहुत दिन हो गये हैं। अपने दस्तखत में रिपोर्ट की थी। मेरी डाक्टरी हुई थी। मैंने डाक्टरी टोड़ीफतेहपुर में नहीं कराई। मैंने डाक्टरी मऊ झांसी में कराई थी। मैंने डाक्टरी उसी दिन कराई थी या नहीं बहुत दिन हो गए हैं ख्याल नहीं है। मैंने अपने लड़के के साथ डाक्टरी कराने गया था। मुझे सिर में वाखौरा(कंधा), हाथ आयी थी। मेरी पत्नी ने बचाया था। उसे भी झनझोर डाला था कहा था कि इसको भी देखेंगे। मेरे द्वारे में हाथ पकड़कर तान लिया, पहले गाली देते रहे। झगड़ा दरवाजे में हुआ था। मुझे खबर नहीं है कि झगड़ा किस मौसम में हुआ था फिर कहा कि आसाढ़ में हुआ था। झगड़ा के समय बचाने वाले गांव के आ गये थे। देखने वाले बहुत थे, लेकिन कोई कहता नहीं है। मैं अपने मकान का दरवाजा बना रहा था। अपनी जमीन पर बना रहा था। मैं दूसरे की जमीन पर दरवाजा नहीं बना रहा था। मुल्जिमान ने दीवार उठाकर दरवाजा बन्द कर दिया था। डिप्टी साहब के यहां 145 का मुकदमा चला होगा मुझे ख्याल नहीं है। मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। डिप्टी साहब के यहां से दरवाजा बन्द करने का आदेश हुआ था या नहीं मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। मैं पहले एक मुकदमा में बयान कर गया हूं जिसमें आज की तारीख है। एक मुकदमा में आज बयान दे रहा हूं। स्वंय कहा कि मैंने चार मुकदमे चलाये। मैंने वह दरवाजे वाली जमीन*

हरचरन को नब्बे हजार में बेच दी। यह मुकदमा कायम कराने लड़का आया था मुझे पता नहीं है। मैं अन्दाज से नहीं बता सकता कि रूपये बीस हजार, चालीस हजार खर्च हुए थे। स्वंय कहा कि मुकदमा लड़ते हैं रूपये खर्च होते हैं। मैंने अपनी डाक्टरी कराने में रूपये नहीं दिये थे। डाक्टरी में कितने पैसे लड़के ने दिये थे या नहीं मुझे नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि मैंने झूंठा मुकदमा अभियुक्तगण के खिलाफ कायम कराया है। यह कहना गलत कि मैंने अपनी पत्नी की फर्जी डाक्टरी कराई हो। यह कहना भी गलत कि अभियुक्तगण ने गाली गलौच व जान से मारने की धमकी नहीं दिया है। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्तगण ने मारपीट नहीं की हो।"

11. अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यु०- 3 हरचरन** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि, *"जिस मुकदमा में मैं गवाही देने आया हूं। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। गोरेलाल और गोविन्ददास ने श्रीमती बूंदा व लच्छू को मारा पीटा था मुझे नहीं मालूम। दरोजी जी ने मेरा बयान नहीं लिया था।"* **पक्षद्रोही घोषित ।**

12. **साक्षी पी०डब्लू०- 3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के स्तर पर सशपथ बयान किया है कि,** *" गवाह को धारा- 161 द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया इंकार किया। दरोगा जी ने मेरे बयान कैसे लिख लिया वजह नहीं बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों से मिल जाने के कारण मैं ऐसी गवाही दे रहा हूं।"*

13. अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यु०- 4 प्रभुदयाल** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि, *"मैं जिस मुकदमा में गवाही देने आया हूं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम।"* **पक्षद्रोही घोषित।**

14. **साक्षी पी०डब्लू०- 4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के स्तर पर सशपथ बयान किया है कि,** *"गवाह को धारा- 161 द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया इंकार किया। दरोगा जी ने मेरे बयान कैसे लिख लिया वजह नहीं बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों से मिल जाने के कारण मैं ऐसी गवाही दे रहा हूं।"*

15. अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यु०- 5 भागीरथ** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि, *"मेरे सामने कोई घटना नहीं घटी और न मैंने कोई घटना देखी है। गोरेलाल व गोविन्ददास ने श्रीमती बूंदा व लच्छू को मेरे सामने मारा है। मेरे सामने गाली गलौच भी नहीं हुई है।"* **पक्षद्रोही घोषित।**

16. **साक्षी पी०डब्लू०- 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के स्तर पर सशपथ बयान किया है कि,** *" यह कहना गलत है कि मुल्जिमानोंसे मिल जाने के कारण मैं ऐसी गवाही दे रहा हूं। गवाह को धारा- 161 द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। कैसे लिख लिया वजह नहीं बता सकता हूं।"*

17. अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यु०- 6 जितेन्द्र** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि, *"मुझे घटना की तारीख महीना सन याद नहीं क्योंकि मैंने घटना नहीं देखी है। मैं न्यायालय के द्वारा सम्मन गये इसलिये आया हूं। मेरे सामने गौरेलाल व गोविन्ददास ने श्रीमती बूंदा व लच्छू को नहीं मारा था न ही मेरे सामने कोई गाली दी थी।"* **पक्षद्रोही घोषित।**

18. **साक्षी पी०डब्लू०- 6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के स्तर पर सशपथ बयान किया है कि,** *" गवाह को 161*

द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने इंकार किया। कहा दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था अगर लिख लिया हो तो मैं नहीं बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिम से मिल जाने के कारण झूंठी गवाही दे रहा हूं।"

19. अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यु०- 7 अमित कुमार** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि, *"मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरौठा में नियुक्त हूं। मैं वर्ष 2012 में कार्यरत हूं। वर्तमान में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूं। न्यायालय द्वारा उक्त अभियोग में प्रेषित सम्मन पर चिकित्साधिकारी की अनुमति से कार्यालय में उपलब्ध मेडिकल लीगल मेडिको रजिस्टर लेकर न्यायालय में बयान देने आया हूं। पत्रावली में संलग्न मेडीकल की फोटोप्रति जिसपर का०सं०- 5 ए अंकित किया गया है जिसके पीछे 10 ए/ 2 लिखा है को देखकर गवाह ने कहा कि मजरूब बूंदा पत्नी लच्छू निवासी योनी टोड़ीफतेहपुर जिला झांसी जिनका दिनांक- 26. 11. 2001 को समय 7. 00 पी०एम० पर मेडीकल होना अंकित है जिसका कार्यालय में मेडीकल लीगो रजिस्टर कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, परंतु कार्यालय में कार्यरत रहने के दौरान मेरे द्वारा अन्य मेडिको रजिस्टर लीगल से उनके हैण्डराइटिंग व हस्ताक्षर का मिलान रजिस्टर द्वारा करने पर मैं कह सकता हूं कि का०सं०- 5 ए, 10 ए 2 डाक्टर ओ०पी० शुक्ला के लेख व हस्ताक्षर में है।"*

20. **साक्षी पी०डब्लू०- 7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के स्तर पर सशपथ बयान किया है कि,** *" मेरी नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में सन 2012 में माह दिसंबर में हुई है। बूंदा देवी का मेडीकल होने मेरे सामने नहीं आया था। बूंदा को मेडिकल कराने कौन आया था मुझे पता नहीं है। डा०ओ०पी० शुक्ला को मैंने हस्ताक्षर करते नहीं देखा है और ना ही लिखते देखा है जिस सन के रजिस्टर में मेडिकल हुआ था उस सन का रजिस्टर अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। जब ये मेडिकल रजिस्टर रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है तो मैं यह नहीं बता सकता कि मेडिकल हुआ था या नहीं हुआ था। अन्य अभिलेखों से मैं डा० ओ०पी० शुक्ल की लेख व हस्ताक्षर की मिलान करता हूं। यदि अन्य रजिस्टरों में डा० ओ०पी० शुक्ला के हस्ताक्षर फर्जी हो तो मुझे नहीं पता है। यदि पत्रावली में संलग्न मेडीकल डा० ओ०पी० शुक्ला ने बाहर बाहर फर्जी ढंग से बना दिया हो तो मुझे नहीं पता है। फार्मासिस्ट ही रिकार्ड कीपर का काम देखता है। "*

21. अभियुक्त/ बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव में दो साक्षियों,डी०डब्लू०- 1 हरचरन व डी०डब्लू०- 2 गिरजा प्रसाद, को परीक्षित कराया गया है, जिसमें साक्षी **डी०डब्लू०- 1 हरचरन** ने न्यायालय उपस्थित आकर अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि, *"श्रीमती बूंदा देवी मेरी पड़ोसी हैं। वर्ष 2001 में बूंदा देवी से गोविन्ददास, गोरेलाल, प्रमोद का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। बूंदा देवी कुएं में नहीं गिरी। बूंदा देवी का गोरेलाल आदि से जमीन बटवारे को लेकर मनमुटाव था उसी दबाव में यह झूंठा मुकदमा लिखाया है किसी को कोई चोट नहीं आयी।"*

22. **साक्षी डी०डब्लू०- 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सशपथ बयान किया है कि**, *"मैं प्राथमिक विद्यालय पसौरा में अध्यापक था। यह विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक था। दिनांक- 24. 11. 2001 को मैं विद्यालय नहीं गया था छुट्टी लिया था। मैंने तबियत खराब हो जाने की वजह से दो तीन दिन की छुट्टी लिये थे।*

विद्यालय का समय 10 बजे से 4 बजे का था। मैं दवाई लेने गया था। घटना की तारीख मुझे मालूम नहीं है। मैंने कोई मारपीट नहीं देखी थी ना ही मैं मौके पर था। तबियत खराब होने की वजह से मैं घर पर ही आराम कर रहा था।"

23. साक्षी **डी०डब्लू०- 2 गिरजा प्रसाद** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि, *"आज से 24 साल पहले बूंदा, गोरेलाल, गोविन्ददास, प्रमोद के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है ना ही मारपीट हुई है और ना ही धारदार हथियार से मारा पीटा गया है। बूंदा और गोविन्ददास एक ही परिवार के है। इनके मध्य पारिवारिक बंटवारे का विवाद रहता था कब्जा करने के लिये खराब नियत से झूंठा मुकदमा लिखाया है। मेरा मकान गोरेलाल के मकान के पास है, उसी मुहल्ले में है इसलिये मुझे घटना की पूर्ण जानकारी है।"*

24. **साक्षी डी०डब्लू०- 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सशपथ बयान किया है कि**, *"मुझे घटना की तारीख व समय की कोई जानकारी नहीं है। मेरे गांव में कोई मारपीट की घटना नहीं हुई थी। बूंदा ने रंजिशन मुकदमा गोरेलाल आदि के विरुद्ध लिखवाया था। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्तगण को बचाने के लिये आज ऐसा बयान दे रहा हूं।"*

25. मेरे द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

26. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पर यह आरोप लगाया गया है कि, "दिनांक- 25. 11. 2001 को समय 8. 00 बजे दिन व स्थान मकान वादिनी स्थिति ग्राम एवनी थाना टोड़ीफतेहपुर, जिला झांसी में अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा की लाठी डण्डों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की व लोक शांति भंग कराने हेतु उसे गंदी गंदी गालियां देकर प्रकोपित किया।" जिसे साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। उक्त अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष को निम्न अवधार्य बिन्दु साबित करने हैं-

1. **क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की लाठी डण्डों अथवा खतरनाक आयुद्ध से मारपीट कर स्वेच्छा घोर उपहति कारित की गयी है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 323 व 324 के अन्तर्गत दण्डनीय है**?
2. **क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को लोकशान्ति भंग कराने के आशय से गन्दी- गन्दी गालियां देकर प्रकोपित किया जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है**?

27. विधि व्यवस्था **लल्लू मांझी बनाम झारखण्ड राज्य एन०आई०आर० 2013 एस०सी० 854** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि साक्षीगण की तीन श्रेणियां होती है, प्रथम पूर्णतया विश्वसनीय, द्वितीय पूर्णतया अविश्वसनीय तथा तृतीय न तो पूर्णतया विश्वसनीय और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय। यदि साक्षी पूर्णतया विश्वसनीय है तो ऐसी दशा में उसके साक्ष्य को अन्य किसी साक्ष्य द्वारा सम्पुष्ट कराये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय को यह

विश्लेषण करना है कि अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य पूर्णतया विश्वसनीय साक्ष्य की श्रेणी में आता है या नही है।

28. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी पी०डब्लू०- 3, पी०डब्लू०- 4, पी०डब्लू०- 5 व पी०डब्लू०- 6 को मुख्य परीक्षा के स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जा चुका है, ऐसे में इन साक्षीगण के संबंध में कोई भी तर्क दिया जाना आवश्यक नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष जो सर्वप्रथम अवधार्य बिन्दु है वह यह है कि **क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की लाठी डण्डों अथवा खतरनाक आयुद्ध से मारपीट कर स्वेच्छा घोर उपहति कारित की गयी है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 323 व 324 के अन्तर्गत दण्डनीय है**?

29. प्रस्तुत प्रकरण में पी०डब्लू०- 1 श्रीमती बूंदा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि "मारपीट सुबह आठ बजे हुई थी। गोरेलाल, गोविन्ददास, पिल्लू, कलूटे, लक्ष्मी ने मारा था। मुझे छः लोगों ने मारा था। गोविन्ददास कुल्हाड़ी लिये थे। शेष लोग लाठी लिये थे। इन लोगों ने मारा लड़ाई मेरे दरवाजे पर हुई थी। मेरे दरवाजे के बाबत लड़ाई हुई थी। मैं चिल्लाई मुझे कोई बचाने नहीं आया।" प्रतिपरीक्षा में पी०डब्लू०- 1 द्वारा यह कथन किया गया है कि "मुझे कुए के पास नहीं घर पर मारा था। घर के अन्दर घुसकर मारा था। घसीट घसीट कर मारा बाहर घसीटते हुए कुए तक ले गये थे।" पुलिस प्रपत्रों में संलग्न नक्शा नज़री के अवलोकन से विदित है कि पी०डब्लू०- 1 के मकान से कुए कुछ दूरी पर स्थित है जो कि वादी के कथनों को अविश्वसनीय बनाता है। पी०डब्लू०- 1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में में यह कथन किया गया है कि मुझे कोई बचाने नहीं आया , परंतु वहीं अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि मुझे बचाने घटनास्थल पर हजार आदमी आये थे, किन्तु वादी मुकदमा द्वारा अपनी एफ०आई०आर० में एक भी घटनास्थल पर मौजूद गवाहों का नाम नहीं बताया गया है। पी०डब्लू०- 1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि उसे कुए में से प्रभू ने निकाला एक लड़का और था जिसका उसे नाम याद नहीं है, परंतु प्रभुदयाल जो कि प्रकरण में पी०डब्लू०- 4 के रूप में परीक्षित है, के द्वारा ऐसा कोई भी कथन नहीं किया गया है। साक्षी पी०डब्लू०- 2 के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि "गोविन्ददास और गोरेलाल ने मारा था। मुझे इतना मारा था कि मेरी पसली टूट गयी थी।" मुझे सिर में वाखौरा (कंधा), हाथ आयी थी। मेरी पत्नी ने बचाया था। उसे भी झनझोर डाला था कहा था कि इसको भी देखेंगे।" साक्षी पी०डब्लू०- 1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि "मैं जब कुए से निकल आयी तब मेरे पति आ गये थे। मेरे पति गांव में निकल गये थे जब मालूम पड़ा तब आ गये थे।" यहां पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अपने पति के साथ मारपीट होने का कोई कथन नहीं किया गया है व उसके द्वारा यह बताया गया है कि घटना के समय उसके पति गांव में निकल गये थे। अतः पी०डब्लू०- 2 द्वारा दिया गया साक्ष्य पूर्णतः संदेह की परिदृष्टि में आता है। साक्षी पी०डब्लू०- 1 द्वारा स्वंय का मेडिकल परीक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरौठा में कराया जाना बताया है जबकि साक्षी पी०डब्लू०- 2 द्वारा अपनी डाक्टरी मऊ झांसी में कराया जाना बताया है। ऐसे में साक्षी पी०डब्लू०- 1 व पी०डब्लू०- 2 के कथन एक दूसरे के बयानों को संपुष्ट नहीं करते हैं।

30. साक्षी पी०डब्लू०- 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि "मारपीट घटना के दूसरे तीसरे दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरौठा में कराई थी। डाक्टर ने दस पंद्रह हजार रुपये ले लिये थे लड़के ने दिये थे। मैं बीस हजार रुपये लेकर गरौठा आयी थी। बीस हजार रुपये खर्च हो गये थे। मेरे वकील साहब डाक्टर के पास गये थे।" इस प्रकार वादिनी मुकदमा द्वारा डाक्टरी पैसे के माध्यम से करायी गयी है ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट अविश्वसनीय हो जाता है। साक्षी पी०डब्लू०- 1 व पी०डब्लू०- 2 डाक्टर की फीस व न्यायालय में प्रार्थनापत्र अपने बेटे द्वारा देने का कथन किया गया है किन्तु हरचरन जो कि वादिनी का पुत्र है के द्वारा बतौर अभियुक्तगण साक्षी डी०डब्लू०- 1 उपस्थित आकर वादिनी का समर्थन नहीं किया गया है एवं अपने कथनों में यह कहा है कि "श्रीमती बूंदा देवी मेरी पड़ोसी हैं। वर्ष 2001 में बूंदा देवी से गोविन्ददास, गोरेलाल, प्रमोद का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। बूंदा देवी कुएं में नहीं गिरी। बूंदा देवी का गोरेलाल आदि से जमीन बटवारे को लेकर मनमुटाव था उसी दबाव में यह झूंठा मुकदमा लिखाया है किसी को कोई चोट नहीं आयी।" इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू०- 1 का बयान संदेहास्पद हो जाता है।

31. वादिनी/ साक्षी पी०डब्लू०- 1 द्वारा स्वंय अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि "मैं अपने मकान में उत्तर की तरफ दरवाजा फोड़ रही थी। इस दरवाजे के सामने गोविन्ददास का दरवाजा नहीं है दूर है। मेरे घर व गोविन्ददास के घर के दरवाजे के बीच में सड़क है। मैं उसी तरफ अपने मकान में दरवाजा फोड़ रही थी। मैंने एक बार पहले दरवाजा खोदा था तब गोविन्ददास आदि ने बन्द कर दिया था। दरवाजे से लगी एक दीवार बना दी थी। घटना के दो दिन पहले गोविन्ददास आदि दरवाजे से सटाकर दीवार बना दी थी।" और यह भी कहा है कि "मैंने जमीन एक ताकतवर आदमी को नब्बे हजार रुपये में बेच दी है।" जिससे प्रथम दृष्टया यह विदित है कि वादी मुकदमा व विपक्षीगण के मध्य दरवाजे से सटाकर दीवार बनाने को लेकर विवाद विद्यमान था व प्रस्तुत प्रकरण वादी द्वारा उसी पूर्व विवाद के चलते वादी द्वारा दायर किया जाना प्रतीत होता है। अभियोजन पक्ष अपने द्वारा परीक्षित कराये गये साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरुद्ध वादिनी मुकदमा की लाठी डण्डों अथवा खतरनाक आयुद्ध से मारपीट किये जाने के तथ्यों को सन्देह से परे साबित नहीं कर सका है। निष्कर्षतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323 व 324 भा०दं०सं० संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

32. दूसरा महत्वपूर्ण अवधार्य बिन्दु जो न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष को साबित करना है वह यह है कि **क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को लोकशान्ति भंग कराने के आशय से गन्दी-गन्दी गालियां देकर प्रकोपित किया जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है**?

33. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी०डब्लू०- 1 व पी०डब्लू०- 2 द्वारा अपने बयानों में गाली गलौच किया जाना बताया गया है। साक्षी पी०डब्ल्यू०- 7 औपचारिक साक्षी है जिसने मात्र अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है। उल्लेखनीय है कि अपराध अन्तर्गत धारा- 504 भा०दं०सं० को साबित करने हेतु यह आवश्यक है कि साशय अपमानित करने वाले व्यक्ति को यह जानकारी हो कि वह उस कृत्य से किसी को प्रकोपित इस प्रकार कर देगा कि उससे लोकशान्ति भंग हो या प्रकोपित व्यक्ति कोई अपराध कारित कर दे। माननीय न्यायालय ने भी उक्त आशय का ही विधिक सिद्धान्त निम्न

प्रकरण में प्रतिपादित किया है-

B. R. Meena vs Mangal Das Chiman Lal Barot and another (1987) 597 It was held by Hon' ble Supreme Court that **"Mere utterance of abusive words by itself does not constitute offence."** इस प्रकार आवश्यक है कि गाली गलौच वाली भाषा की स्वरूप अथवा प्रकृति ऐसी हो कि उससे सामान्य प्रकृति के स्त्री व पुरूष प्रकोपित हो जाये और शान्ति भंग कर दे, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में स्वंय वादिनी मुकदमा/ साक्षी पी०डब्लू०- 1 व पी०डब्लू०- 2 द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज किये जाने के पश्चात वादी मुकदमा अथवा उसका पति प्रकोपित हुए हो अथवा उनके द्वारा लोकशान्ति भंग करने का कोई कार्य किया गया हो। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपने द्वारा परीक्षित कराये गये साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरुद्ध लोकशान्ति भंग कराने के तथ्यों को सन्देह से परे साबित नहीं कर सका है। निष्कर्षतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 504 भा०दं०सं० संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

34. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित उक्त वर्णित तथ्यात्मक साक्षीगण के मौखिक परिसाक्ष्य के आधार पर हस्तगत प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार वर्णित आपराधिक घटना के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप संबंधी तथ्यात्मक संघटक युक्ति- युक्तक संदेह से परे सिद्ध नहीं होते हैं।

35. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना है तथा यह भी स्थापित विधि है कि मामला संदेह से परे साबित न किये जाने की स्थिति में संदेह का लाभ अभियुक्तगण को प्रदान किया जायेगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **एच०पी० एडमिनिस्ट्रेशन बनाम ओमप्रकाश ए०आई०आर० 1972 सुप्रीम कोर्ट 975** में यह अवधारित किया गया है कि प्रत्येक संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जायेगा। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **हरेन्द्र बनाम आसाम राज्य ए०आई०आर० 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467** में यह अवधारित किया है कि अभियोजन को अपना पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे सिद्ध करना होगा एवं संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जायेगा।

36. इस प्रकार उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्यों के विवेचना के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदहे से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

37. अतः अभियुक्तगण गोरेलाल व गोविन्ददास को धारा- 323,324,504 भा०दं०सं० के दण्डनीय आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

दाण्डिक वाद सं०- 231/ 2002 सरकार बनाम गोरेलाल आदि, मु०अ०सं०- 163/ 2001, थाना- टोड़ीफतेहपुर, जिला- झाँसी के मामले में अभियुक्तगण **गोरेलाल व गोविन्ददास** को धारा-

323,324,504 भा०दं०सं० के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है। इस मामले में अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अतः उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते है तथा उनके प्रतिभूओं को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

धारा- 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में प्रत्येक अभियुक्त 25,000/ - रु० का एक प्रतिभू एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करे, जो छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे तथा छः माह पश्चात स्वतः निरस्त माने जायेगें। मामले में अपील होने की स्थिति में अभियुक्तगण माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष अविलम्ब उपस्थित होंगे।

(सृष्टि शुक्ला)

दिनांक- 09. 06. 2026 **न्यायिक मजिस्ट्रेट,**

गरौठा, जनपद- झांसी।

जे०ओ० कोड यू०पी० 4682

यह निर्णय, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि शुक्ला)

दिनांक- 09. 06. 2026 **न्यायिक मजिस्ट्रेट,**

Mohd. Anas

Steno

गरौठा, जनपद- झांसी।

जे०ओ० कोड यू०पी० 4682